



पत्र संख्या- 366/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 18.09.2026

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक-18.09.2026

थाना-अहरौला, जनपद-आजमगढ़

युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के अभियोग में वांछित अभियुक्त पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार

अहरौला पुलिस ने मुर्शिदाबाद पहुंचकर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, न्यायालय से 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड कराया प्राप्त

घटना का पूर्व विवरण-

दिनांक 18.03.2026 को थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत एक युवती, उम्र करीब 18 वर्ष, के घर से बिना किसी को बताए चले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 70/2026 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी एवं घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2026 को उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी मय हमराह आरक्षी शिवम मिश्रा एवं महिला आरक्षी शिवानी के साथ उक्त अभियोग से सम्बन्धित युवती की तलाश में जनपद मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल पहुंचे। विवेचना के दौरान युवती के मोबाइल नम्बर पर घटना से पूर्व लगातार सम्पर्क करने वाले मोबाइल नम्बर के धारक की जानकारी प्राप्त हुई।

पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.09.2026 को थाना शमशेरगंज, जनपद मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल पहुंचकर अभियुक्त शिवा मंडल को समय करीब 20.00 बजे गिरफ्तार किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 16.09.2026 को अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण कराकर ट्रांजिट रिमांड हेतु मा0 न्यायालय जंगीपुर, जनपद मुर्शिदाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने के उपरान्त अभियुक्त का 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत किया गया। ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर पुलिस टीम अभियुक्त को लेकर दिनांक 17.09.2026 को थाना अहरौला वापस आयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवा मंडल पुत्र बबलू मंडल, निवासी मोहल्ला ठाकुरपाड़ा, धुलियान, थाना शमशेरगंज, जनपद मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 70/2026 धारा 87 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. आरक्षी शिवम मिश्रा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
3. महिला आरक्षी शिवानी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-18.09.2026

थाना बिलरियागंज, जनपद-आजमगढ़

थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा 23.411 किलोग्राम अवैध गांजा, अनुमानित कीमत लगभग ₹05 लाख के साथ 03 अंतर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 ट्रॉली बैग में पैक 23.411 किग्रा गांजा व 01 मोबाइल फोन बरामद, अभियुक्तगण गांजा पहुंचाने के एवज में लेते थे रुपये

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 17.09.2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुलवा गौरी नहर पुलिया के पास से 03 संदिग्ध व्यक्तियों को 02 ट्रॉली बैग के साथ घेराबंदी कर पकड़ा गया।

पकड़े गये व्यक्तियों की पहचान 01. राजाबाबू सिंह पुत्र दिवाकर सिंह निवासी बलिहार थाना सिमरी जनपद बक्सर, बिहार, उम्र करीब 28 वर्ष, 02. नेहा पासवान पुत्री स्व० जितेन्द्र पासवान निवासी फतेहपुर थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 20 वर्ष तथा 03. पूनम देवी पत्नी प्रिंस कुमार निवासी सोनी इंतवा थाना राजपुर जनपद बक्सर, बिहार, उम्र करीब 31 वर्ष के रूप में हुई।

मौके पर क्षेत्राधिकारी सगड़ी श्री कौस्तुभ त्रिपाठी की उपस्थिति में नियमानुसार ट्रॉली बैगों की तलाशी ली गयी। राजाबाबू सिंह के कब्जे से एक फिरोजी/काले रंग के ट्रॉली बैग में 12 बण्डल तथा दोनों महिला अभियुक्ताओं के कब्जे से एक काले रंग के ट्रॉली बैग में 11 बण्डल बरामद हुए। बरामद बण्डलों को खोलकर जांच करने पर उनमें अवैध गांजा पाया गया। दोनों ट्रॉली बैगों से बरामद गांजे का कुल वजन 23.411 किलोग्राम पाया गया। इसके अतिरिक्त 01 वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा उन्हें एक स्थान पर पहुंचाने के लिए दिया गया था तथा गांजा पहुंचाने के बदले उन्हें रुपये मिलते थे, जिसे वे आपस में बांटकर जीवन-यापन करते थे। गांजे के सम्बन्ध में कोई वैध अधिकार-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके।

अभियुक्तगण को दिनांक 17.09.2026 को समय करीब 16:30 बजे गुलवा गौरी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर बरामद गांजे को कब्जा पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राजाबाबू सिंह पुत्र दिवाकर सिंह, निवासी बलिहार, थाना सिमरी, जनपद बक्सर, बिहार उम्र करीब 28 वर्ष।
2. नेहा पासवान पुत्री स्व० जितेन्द्र पासवान, निवासी फतेहपुर, थाना दिलदारनगर, जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष
3. पूनम देवी पत्नी प्रिंस कुमार, निवासी सोनी इंतवा, थाना राजपुर, जनपद बक्सर, बिहार उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी-

1. 23.411 किलोग्राम अवैध गांजा, अनुमानित कीमत लगभग ₹05 लाख।
2. 01 वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन।
3. 02 ट्रॉली बैग।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 234/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त राजाबाबू सिंह के विरुद्ध-

1. मु0अ0सं0 147/2023 धारा 504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट, थाना गहमर, जनपद गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0 27/2026 धारा 20(B)(II)C एनडीपीएस एक्ट, थाना जीआरपी रांची, जमशेदपुर, झारखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरिकेश राय, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. म0उ0नि0 श्रीमती आकांक्षा पाण्डेय, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
3. का0 छट्टू साहनी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
4. का0 सन्तू साहू, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 मधुबाला यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

विशेष/चोरी अनावरण टीम-

प्रभारी उपनिरीक्षक शशिकांत, मु0आ0 गोविंद तिवारी, मु0आ0 प्रमोद कुमार यादव, आ0 विशाल मल्ल, आ0 बसंत लाल, आ0 गुलाम रब्बानी एवं आ0 चालक विकास ठाकुर।

सर्विलांस सेल-

मु0 आ0 उमेश यादव

प्रेस-नोट, दिनांक-18.09.2026,

थाना गम्भीरपुर जनपद-आजमगढ़

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को मुहम्मदपुर तिराहे से किया गया गिरफ्तार,

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.07.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त सुनील पुत्र रामबली निवासी कादीपुर, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया गया तथा शादी करने के लिए कहने पर गाली-गलौज करते हुए शादी से इनकार कर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 182/2026 धारा 69/352/351(3) बीएनएस बनाम सुनील उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 18.09.2026 को उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुनील पुत्र रामबली, निवासी कादीपुर, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकर नगर, उम्र करीब 23 वर्ष को मुहम्मदपुर तिराहे से समय करीब 14:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुनील पुत्र रामबली, निवासी कादीपुर, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकर नगर, उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 182/2026 धारा 69/352/351(3) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 सुरेन्द्र प्रताप, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 पवन कुमार, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

